राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 11.06.2026

नगरपालिका निर्वाचन, 2026 के निमित 'मल्टी पोस्ट एस3 मॉडल ईवीएम.के संचालन दक्षता हेतु 12 एवं 13 जून को दो-दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आरक्षण आवंटन/निर्धारण की प्रक्रिया

निर्वाचन सुधारों और अत्याधुनिक मतदान प्रक्रियाओं को अपनाने में सदैव अग्रणी राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा आगामी नगरपालिका निर्वाचन, 2026 सम्पन्न कराये जाने हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही है। बिहार के निर्वाचन इतिहास में यह एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि पहली बार राज्य के नगरीय निकाय चुनावों में अत्याधुनिक 'मल्टी पोस्ट एस 3 मॉडल ई.वी.एम.' (Multi Post S3 EVM) का उपयोग किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग का यह अभिनव प्रयास नगर निकाय चुनावों को तकनीकी रूप से अधिक सुदृढ़, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है।

आयोग नगरपालिका निर्वाचन, 2026 को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए तत्पर है। उक्त क्रम में पुनः एक दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

दो दिवसीय विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद के कुशल मार्गदर्शन में नवनिर्मित मल्टी पोस्ट S3 मॉडल ई.वी.एम. के प्रभावी संचालन तथा ई.एम.एस. (EVM Monitoring System) के माध्यम से इसकी सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनः दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय, पटना में 12 जून 2026 एवं 13 जून 2026 को आयोजित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक तथा अपराह्न 2:30 बजे से सायं 7:00 बजे तक दो सत्रों में संचालित किया जायेगा।

उपरोक्त दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सत्र में पूर्व से प्रशिक्षित पदाधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स के अलावा, आई.टी. मैनेजर्स (IT Managers) और डी.आई.ओ. (DIO) को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि आयोग के उद्देश्यानुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन के माध्यम से ही मतदान प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय बनाया जा सके।

ध्यातव्य हो कि 25 मई से 27 मई 2026 तक तीन दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन पूर्व में किया जा चुका है। उस दौरान संबंधित जिलों के S.D.O. (अनुमंडल पदाधिकारी) और D.C.L.R. (भूमि सुधार उप समाहर्ता) स्तर के निर्वाची पदाधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनर्स को S3 मॉडल ईवीएम का सैद्धांतिक प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रदर्शन, विस्तृत थ्योरी, हैण्ड ऑन ट्रेनिंग (Hands-on Training) और मॉक पोल के जरिए तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जा चुका है एवं प्रशिक्षणार्थियों का दक्षता जांच भी की गई थी।

प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- **विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन:** प्रशिक्षण का संचालन अवर निर्वाचन पदाधिकारी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद के अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों एवं

Scanned with OKEN Scanner

अभियंताओं द्वारा किया जाएगा। इसमें ईवीएम संचालन, रख-रखाव, समस्या-निवारण और EMS ट्रैकिंग से संबंधित बिन्दुओं से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया जायेगा।

- **लक्षित जिले एवं अधिकारी:** इस सत्र में **पटना, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, सारण एवं सिवान** जिलों के 26 जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, 5 आई.टी. मैनेजर और 5 जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (DIO) भाग लेंगे। ये अधिकारी बाद में अपने जिलों में अन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे।
- **आच्छादित नगर निकाय:** इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फुलवारी शरीफ, दानापुर, खगौल (पटना); सोनपुर (सारण); जम्हौर, मदनपुर (औरंगाबाद); मधुबन (पूर्वी चम्पारण) और महाराजगंज (सिवान) नगर निकायों के अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मिलित है।

आयोग का संकल्प

आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरपालिका निर्वाचन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में इस नई तकनीक का सफल उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षित मानव संसाधन के माध्यम से ही जमीनी स्तर पर चुनाव संचालन करने वाले संबंधित पदाधिकारी एवं निर्वाचन कर्मी पूरी तरह दक्ष हो सकेंगे। इससे न केवल निर्वाचन की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, बल्कि मतदाताओं का निर्वाचन प्रणाली के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि यहाँ प्राप्त तकनीकी ज्ञान का जिला एवं निकाय स्तर तक शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर चुनाव संचालन करने वाले संबंधित पदाधिकारी एवं निर्वाचन कर्मी पूरी तरह दक्ष हो सके।

आयोग के कड़े निर्देश: शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पूर्व में प्रशिक्षित सभी मास्टर ट्रेनरों के अलावा आई.टी. मैनेजरों एवं डी.आई.ओ. स्तर के तकनीकी अधिकारियों की इस निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शत-प्रतिशत उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

➢ **नगरपालिका निर्वाचन, 2026:- पदवार आरक्षण आवंटन के संबंध में**

नगरपालिका निर्वाचन, 2026 हेतु नगर परिषद क्रमशः दानापुर निजामत,फुलवारीशरीफ, खगौल, सोनपुर तथा नगर पंचायत क्रमशः जम्होर,मदनपुर, मधुबन एवं महराजगंज के पार्षद के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण आवंटन हेतु आरक्षण प्रस्ताव तैयार करने एवं राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सभी संबंधित जिलों को निदेशित किया गया है।

मतदाता/नागरिक हेतु सुविधाः मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा: कोई भी मतदाता / नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचन / मतदाता सूची/मतदान केन्द्र तथा अन्य सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं ऑनलाइन दावा/आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति/मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नं. 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

Scanned with OKEN Scanner